

कार्यालय प्रमुख अभियंता

म.प्र.लोक निर्माण विभाग, प्लॉट नं.27-28 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

website : www.mp.gov.in/pwdmp

email : pwdbhop@mp.nic.in

Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्रमांक 01/प्रअ/प्रशा.अका/ट्रेनिंग/2017-18/

भोपाल दिनांक /12/2017

**आदेश**

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में वर्ष 2017-18 में आयोजित प्रशिक्षण में निम्नानुसार अधिकारियों को नामांकित किया जाता है।

**(A) कोड क्र. 281 " ई-गवर्नेंस एवं कार्यालयीन प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण"**

अवधि 01 से 05 जनवरी 2018

क्र.	नाम	पदनाम	पदस्थगी	मोबाईल नं.
1	श्री व्ही.के. शुक्ला	प्रभारी कार्यपालन यंत्री	लो.नि.वि.सेतु संभाग सिवनी	9826486577
2	श्री डी.पी. द्विवेदी	अनुविभागीय अधिकारी	लो.नि.वि.(भ/स)संभाग शहडोल	9425890032
3	श्री पवन प्रजापति	सहायक यंत्री	लो.नि.वि. उपसंभाग विदिशा	9926298883
4	श्री जितेन्द्र कुमार पंथ	सहायक यंत्री	लो.नि.वि. उपसंभाग राघौगढ़	9125381035

- हस्ता -

(इंजी अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता


लोक निर्माण विभाग भोपाल

पृ.क्रमांक 01/प्र अ/प्रशाअका/ट्रेनिंग/2017-18/769

भोपाल दिनांक 14/12/2017

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रशिक्षण संचालक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी संस्थान 1100, क्वाटर्स अरेरा कालोनी म.प्र. भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 8024/अका/प्रशि./323/सलो/2017-18 भोपाल दिनांक 15.11.2017 एवं कार्या. पत्र पृ.क्र.01/प्र.अ/प्रशा.अका./ट्रेनिंग/2017-18/603 भोपाल दि. 20/6/2017 के तारतम्य में सूचनार्थ। कृपया प्रशिक्षण उपरांत देयक मय उपस्थिति पत्रक के इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। जिससे भुगतान की कार्यवाही यथा समय संभव हो सके।
3. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. .... परिक्षेत्र ..... की ओर। कृपया अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग लिया जाना सुनिश्चित करें। अपरिहार्य कारण से संबंधित अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ रहने की स्थिति में अपने स्तर से प्रशिक्षण में अन्य अधिकारी को यथासमय नामांकित करते हुए इस कार्यालय को सूचना दें।
4. संबंधित अधिकारी .....की ओर। विषयांकित प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से नियत समय पर (प्रातः 9:30 बजे) प्रशासन अकादमी संस्थान भोपाल में अपनी फोटो आई डी के साथ उपस्थित हों। पदस्थापना में परिवर्तन की स्थिति में भी आपके द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. आई.टी.सेल कार्या. प्र.अ.लो.नि.वि. भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(इंजी अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग भोपाल